बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
मुख्य अभियंता का कार्यालय,
सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर।
(**Email-id-ce.wrd.bhagalpur@gmail.com, mob-7463889269**)

अल्पकालीन आमंत्रण सूचना संख्या(EOI)–01/2026–2027

पत्रांक–2/कार्य–10048/2024– /भागलपुर, दिनांक–

परिक्षेत्र के विभिन्न प्रमंडलों यथा सिंचाई प्रमंडल, बांका/सिंचाई प्रमंडल, बौंसी/ गंगा पंप नहर प्रमंडल कहलगांव/ शिवनारायणपुर/ सिंचाई प्रमंडल, बिजिखोरवा/ सिंचाई प्रमंडल, तारापुर/ सिंचाई प्रमंडल, लक्ष्मीपुर/ गंगा पंप नहर प्रमंडल, मुंगेर/ सिंचाई प्रमंडल, जमुई/ सिंचाई प्रमंडल, झाझा/ सिंचाई प्रमंडल, सिकन्दरा अन्तर्गत नहर सम्पोषण कार्य/आकस्मिक कार्य/विभिन्न प्रकार के मशीनों की आपूर्ति कार्य हेतु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–253 दिनांक–15.03.2024 के द्वारा निर्गत नहर संचालन तथा रख–रखाव हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) में दिये गये निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026–2027 के लिए राज्य सरकार के वर्त्तमान अनुसूचित दर (संवेदक लाभ एवं ओभरहेड रहित) पर निर्माण सामग्रियों/श्रमिकों/मशीनरी इत्यादि के आपूर्त्ति/सेवा प्रदाताओं से निम्नांकित शर्तों पर इच्छा की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) आमंत्रण किया जाता है :–

1. संवेदकों/आपूर्तिकर्त्ताओं/सेवा प्रदाताओं का जल संसाधन विभाग में सभी श्रेणी या संबंधित जिला में चतुर्थ वर्गीय श्रेणी में निबंधन अनिवार्य होगा।
2. निर्माण सामाग्रियों/श्रमिकों/मशीनरी के आपूर्ति से संबंधित राज्य सरकार/विभागीय नियम/दिशा–निर्देश लागू होंगे।
3. सभी प्रकार के लेबर सेस/टैक्स/रॉयल्टी/मालिकाना फिस आदि की कटौती नियमानुकूल की जाएगी।
4. कोटेशनदाताओं को निम्न दस्तावेजों की अभिप्रमाणित प्रति बंद लिफाफा में जमा करना होगा :–
   (i) वैध निबंधन पत्र। (ii) पैन कार्ड की प्रति।
   (iii) जी0एस0टी0 नं0 की प्रति। (iv) वैध आचरण प्रमाण–पत्र
   (v) आधार कार्ड की छायाप्रति। (vi) पूर्ण स्थायी एवं अस्थायी पता।
   (vii) Whatsapp mobile No. (viii) ई–मेल आई0डी0।
5. निविदादाताओं को निम्न रूप से अंकित बिन्दुओं के साथ शपथ–पत्र मूल में जमा करना होगा :–
   i. "I, the undersigend, do hereby certify that all the statement made in the required attachment are true and correct, and if found fake/forged the undersigned will be liable for infliction upon the FIR and lawful punishment as well as blacklisting"
   ii. कार्य मिलने पर मैं गुणवत्ता एवं विशिष्टि के साथ अनुसूचित दर (संवेदक लाभ एवं ओभरहेड रहित) पर संपादित करने को तैयार हूँ। गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप कार्य नहीं पाए जाने पर विभाग कार्रवाई हेतु स्वतंत्र होगा।
6. तकनीकी रूप से योग्य पाये जाने वाले इच्छुक संवेदकों/आपूर्तिकर्त्ताओं/सेवा प्रदाताओं को सूचीकृत (Empanelled) किया जाएगा, जिनसे आवश्यकतानुसार आपूर्ति/सेवा लिया जाएगा। कोटेशन में कार्य कराने से संबंधित प्रमंडल का नाम उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
7. परिक्षेत्र के अन्तर्गत नामित प्रमंडल द्वारा आकस्मिकता के आधार पर मांगे गए सामाग्रियों/श्रमिकों/मशीनरी की आपूर्ति उसी दिन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
8. श्रमिकों की आपूर्ति के संबंध में श्रम संसाधन विभाग के अद्यतन दिशा–निर्देश/अधिसूचना का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा। श्रमिकों का भुगतान श्रम संसाधन विभाग के अद्यतन दर के आधार पर किया जायेगा।
9. सूचीबद्ध संवेदकों/आपूर्तिकर्त्ताओं/सेवाप्रदाताओं से सामग्रियों/श्रमिकों/मशीनरी की आपूर्ति हेतु संबंधित प्रमंडल द्वारा न्यूनतम दर प्राप्त कर न्यूनतम दरदाता से एकरारनामा कर कार्य ससमय सम्पन्न कराया जायेगा। आकास्मिक कार्य के लिए न्यूनतम दर प्राप्त करने हेतु सूचना प्रमंडलीय सूचना पट्ट पर दिया जाऐगा, जिसे प्रतिदिन सूचीबद्ध संवेदक/आपुतिकर्ताओं/सेवाप्रदाताओं द्वारा देखा जाना आपेक्षित होगा।

10. मात्र सूचीबद्ध हो जाने से भविष्य में कार्य का दावा मान्य नहीं होगा। सूचीबद्ध का क्रमांक किसी प्रकार के वरीयता एवं प्राथमिकता पाने का द्योतक नहीं होगा।
11. आकस्मिकता अथवा समयाभाव की स्थिति में कार्य विशेष के लिए मात्र मोबाईल फोन पर उपलब्ध Panelled संवेदकों/आपूर्तिकर्त्ताओं से आपूर्ति/सेवा ली जा सकती है।
12. गर्मा/खरीफ सिंचाई/रब्बी सिंचाई अवधि में कार्य कराने के संबंध में विभागीय मानक संचालन प्रक्रिया में दिये गये दिशा–निर्देश का शत् प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. कराये जाने वाले कार्य का भुगतान, आवंटन उपलब्ध होने के उपरान्त विभागीय निर्धारित प्रक्रिया की तहत् की जाएगी।
14. कार्य मद का दर राज्य सरकार के वर्त्तमान अनुसूचित दर (संवेदक लाभ एवं ओभरहेड रहित) मान्य होगा। यह कोटेशन दिनांक–07.05.2026 के अपराह्न 03:00 बजे तक कार्यपालक अभियंता, आयोजन एवं मोनिटरिंग प्रमंडल, भागलपुर के कार्यालय में प्राप्त किया जाएगा एवं उसी दिन 3:30 बजे अपराह्न में उपस्थित संवेदकों/आपुर्तिकर्त्ताओं/सेवा प्रदाताओं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष मुख्य अभियंता कार्यालय में खोला जाएगा।
15. मुख्य अभियंता को किसी भी समय इस निर्गत आमंत्रण सूचना को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

अधिक जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

ह0/–
(मो0 सोहैल अहमद अंसारी)
मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन,
जल संसाधन विभाग, भागलपुर।

ज्ञापांक:–2/कार्य–10048/2024– 1178 /भागलपुर, दिनांक– 13/04/2026

प्रतिलिपि–

1. परिक्षेत्राधीन सभी अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. सूचना एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु तथा लोकप्रिय राष्ट्रीय/स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु समर्पित।

13/04/2026
मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन,
जल संसाधन विभाग, भागलपुर।

13/04/26